संख्याः 41 /XXVII(7)50(4)/2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव**,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. **समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष**,
   उत्तराखण्ड।

**वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7** **देहरादून : दिनांक 12 सितम्बर, 2017**

**विषय :पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजित सरकारी सेवाओं में वेतन इत्यादि की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।**

महोदय,

सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को जनहित में एवं अपरिहार्यता होने पर पुनर्नियुक्ति प्रदान करने पर उनके वेतन/भत्तों आदि की अनुमन्यता के सम्बन्ध में शासनादेष संख्या 319/XXVII–7/2012, दिनांक 21 नवम्बर, 2012 में व्यवस्थायें उपबन्धित की गयी है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 21 नवम्बर, 2012 को अतिक्रमित करते हुए पुनर्नियुक्त/पुनर्नियोजित सरकारी सेवकों के वेतन/भत्तों की अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. सेवानिवृत्ति के उपरान्त सरकारी सेवकों के पुनर्नियोजन की अवधि में सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद 520 में निहित प्राविधान के अनुसार वेतन निर्धारण एवं वेतन की अनुमन्यता उन्हीं मामलों में रहेगी जिसमें पुर्ननियोजन के पद का दायित्व नितान्त वैज्ञानिक, उच्च तकनीकी अथवा विशेषज्ञता से युक्त हो। पुनर्नियोजन की अवधि में, सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति के दिनांक को अंतिम आहरित वेतन से सकल पेंशन की धनराशि (राशिकरण से पूर्व) को घटाकर जो धनराशि प्राप्त होगी, वह पुनर्नियुक्ति अवधि में उसका वेतन होगा। मंहगाई भत्ता उक्त वेतन एवं पेंशन पर समान रूप से पृथक–पृथक अनुमन्य होगा। यदि किसी अतिविशिष्टि विशेषज्ञों की पुनर्नियुक्ति के प्रकरण मे अधिक धनराशि दी जानी आवश्यक है तो वित्त विभाग के परामर्शोपरान्त मा0 मंत्रिमण्डल की स्वीकृति अनिवार्य होगी।
2. विधिक, प्राविधिक, वैज्ञानिक एवं ऐसी प्रकृति के पदों, जिनके लिए विशेष प्रशिक्षण, योग्यता एवं दक्षता की आवश्यकता हो, को छोड़कर सामान्य प्रशासनिक कार्यों, अधिष्ठान से सम्बन्धित कार्यों तथा विभाग की प्रकृति से सम्बन्धित रूटीन कार्यों के सम्पादन के लिए पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी। नितान्त अपरिहार्यता के दृष्टिगत विभागाध्यक्ष की मांग/संस्तुति पर सम्बन्धित प्र0वि0 द्वारा प्रस्ताव पर विचार करते समय सम्बन्धित अधिकारी की पूर्व सेवा का इतिहास/स्वास्थ्य/अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि का भलि–भांति प्रशिक्षण करके औचित्य के साथ कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति से संविदा के आधार पर सलाहकार/परामर्शी, विशेष कार्याधिकारी, विशेषज्ञ समन्वयक आदि नामों से निःसंवर्गीय पद सृजित करते हुए नियत मानदेय पर तैनाती की जायेगी। उक्त कार्मिकों को उनकी सेवानिवृत्त की तिथि को अंतिम आहरित वेतन (शुद्व वेतन) का 40 प्रतिशत नियत मानदेय अनुमन्य किया जायेगा। नियत मानदेय पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
3. पुनर्नियुक्ति/नियत मानदेय पर तैनात कार्मिक को कोई भी अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता, वेतन से सम्बन्धित अन्य भत्तें, जो सेवारत रहते उन्हें अनुमन्य रहे हों, देय नहीं होंगे अर्थात पुनर्नियुक्ति की अवधि में मात्र वेतन एवं वेतन में देय महंगाई भत्ता अथवा नियत मानदेय जैसी भी स्थिति हो, ही देय होगा।
4. पुनर्नियुक्त/पुनर्नियोजित कार्मिक को सरकारी आवास व सरकारी वाहन की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
5. पुनर्नियोजन की अवधि पेंषन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. पुनर्नियोजित सरकारी सेवक को एक कैलेण्डर वर्ष में 14 दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा। इस अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा। सार्वजनिक अवकाशों एवं आकस्मिक अवकाशों को छोड़कर अवकाश अवधि में वेतन/नियत मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।

7. पुनर्नियोजन की अवधि में सरकारी सेवक को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उस वेतनमान के सापेक्ष अनुमन्य होंगे जिसके विरूद्ध उन्हें पुनर्नियुक्त किया गया हो।
8. पुनर्नियोजित सरकारी सेवक की पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन की अवधि प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह के अन्तिम दिवस तक होगी। पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन अवधि निर्धारित समय से पहले बिना नोटिस के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
9. पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन संबधी कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 173/XXX(2)2013–3(1)/2012, दिनांक 20 फरवरी, 2013 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रस्तर–3 में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति होने पर ही किसी विभाग में पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन के प्रस्तावों पर वित्त विभाग में विचार किया जायेगा।
10. समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन नहीं किया जायेगा।

2– पूर्व में नियोजित कार्मिक, जिन्हें शासनादेश संख्या 319/XXVII–7/2012, दिनांक 21 नवम्बर, 2012 की व्यवस्था के अनुरूप वर्तमान में वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सुविधाऐं प्राप्त हो रही है, उन्हें उक्त सुविधायें उनके वर्तमान कार्यकाल तक अथवा 28 फरवरी, 2018 तक जो भी पहले हो, तक ही अनुमन्य होगी।

3– पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन की अवधि में उक्त कार्मिको को वित्तीय/प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

4– पुनर्नियुक्ति केवल निःसंवर्गीय पदों पर की जायेगी। निःसंवर्गीय पदों का सृजन वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा।

5– उक्त शासनादेश संवैधानिक पदधारकों पर लागू नहीं होगा।

6– इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश व नियम उक्त सीमा तक संशोधित/अतिक्रमित समझे जाएं। कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

**(राधा रतूड़ी)**
प्रमुख सचिव।

**संख्या : / /XXVII(7)50(4)/2017 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4– स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, सह स्टैट इन्टरनल ऑडिटर, देहरादून।
10– निदेशक, एन0आई0सी0, राज्य एकक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11– समस्त विभागीय वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(अमित सिंह नेगी)**
सचिव।